

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 51/आवे
R.11019/146/2011-Sec07

पटना, दिनांक 04/08/11

ई-मेल
डाक

प्रेषक,
मदनजी पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद, बांका, भभुआ, भागलपुर, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज,
जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगडिया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर,
मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, शेखपुरा, सीतामढ़ी, वैशाली एवं अरवल ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (Out of Saving) के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध देय अनुपातिक राज्यांश के रूप में ₹ 5740.910 लाख (संतावन करोड़ चालीस लाख एकानवे हजार) रुपये मात्र का वर्ष 2011-12 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-9567 दिनांक-27.07.11

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-J-12015/3/2010-RH(A/C)/75/Bihar/{Out of Saving-(Non-NE)} दिनांक-31.03.11 द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (Out of Saving) के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध देय अनुपातिक राज्यांश के रूप में कुल ₹ 5740.910 लाख (संतावन करोड़ चालीस लाख एकानवे हजार) रुपये वर्ष 2011-12 में निम्न रूप से (कॉलम-4) आवंटित की जाती है :-

(रूपये लाख में)


क्रम	जिला का नाम	वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (Out of Saving) के रूप में विमुक्त राशि	वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (Out of Saving) के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध देय अनुपातिक राज्यांश का वर्ष 2011-12 में आवंटित राशि
1	2	3	4
1.	औरंगाबाद	370.272	123.424
2.	बांका	271.860	90.620
3.	भभुआ	241.490	80.497
4.	भागलपुर	555.702	185.234
5.	बक्सर	251.868	83.956
6.	पूर्वी चम्पारण	1968.710	656.237
7.	गया	771.714	257.238
8.	गोपालगंज	915.212	305.071
9.	जहानाबाद	139.484	46.495
10.	जमुई	267.898	89.299
11.	कटिहार	1373.024	457.675
12.	खगडिया	576.137	192.046
13.	किशनगंज	794.762	264.920
14.	लखीसराय	134.383	44.794
15.	मधुबनी	2140.461	713.487

M. J. Pandey
2011/11

क्रमांक	जिला का नाम	वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (Out of Saving) के रूप में विमुक्त राशि	वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (Out of Saving) के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध देय अनुपातिक राज्यांश का वर्ष 2011-12 में आवंटित राशि
1	2	3	4
16.	मुंगेर	214.773	71.591
17.	मुजफ्फरपुर	2011.462	670.487
18.	नालन्दा	356.354	118.785
19.	नवादा	319.037	106.346
20.	पटना	542.814	180.938
21.	रोहतास	378.659	126.220
22.	शेखपुरा	72.426	24.142
23.	सीतामढ़ी	1361.764	453.920
24.	वैशाली	1094.392	364.797
25.	अरवल	98.072	32.690
कुल :-		17222.730	5740.910

- 2) राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-9567 दिनांक-27.07.11 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।
- 3) आवंटित राशि मॉग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2216-आवास-उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास-लघु शीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना-उप शीर्ष-0102-इंदिरा आवास योजना, विपत्र कोड-पी.-2216031050102 राज्य योजना स्कीम कोड-RUR-5373 के विषय शीर्ष-50-03 राज्यांश के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।
- 4) आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।
- 5) यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561वि.(2) दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों एवं शर्तों का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।
- 6) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561वि.(2) दि0-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान को विभागीय पत्रांक-3873 दि0-12.04.06 द्वारा प्रभावहीन किये जाने के फलस्वरूप आवंटित राशि की एक मुश्त निकासी कर व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है । राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593 दि0-17.11.07 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी ।
- 7) वित्त विभाग के पत्र संख्या-7355 वि.(टि.) दि0-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- 8) संबंधित उप विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी महालेखाकार, बिहार, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को अविलम्ब उपलब्ध करावें ।
- 9) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन



(मदनजी पाण्डेय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक


S1/आक

पटना, दिनांक

04/08/11

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 51/आव पटना, दिनांक 04/08/11

प्रतिलिपि- श्रीमती सुनीता एच. खुराना, निदेशक (आर.एच.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/श्री प्रिय नवीन, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

[Handwritten Signature]
सरकार के संयुक्त सचिव
[Handwritten Signature]
02/08/11